डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम

पीठासीन अधिकारी:– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस

उनवान

1. कैलाश चंद शर्मा पुत्र श्री सुआलाल जाति बाह्मण निवासी ग्रम नांगल मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

वादी

बनाम

1. दिनेश चन्द पुत्र राधेश्याम
2. गोदावरी देवी पत्नी राधेश्याम

} जाति बाह्मण निवासी नांगल मांडल तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी तह0 टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
4. तहसीलदार टोडाभीम (लेण्डहोल्डर) तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज०)
5. सबरजिस्ट्रार टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज०)

प्रतिवादी

दावा बाबत् घोषणा खातेदारी नाम दुरूस्ती

अर्न्तगत धारा 88 आर0 टी0 एक्ट एवम

136 भू राजस्व अधिनियम 1956

मु0न0:– 136 / 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबई श्री महेन्द्र शर्मा एडवोकेट एवं हमारे मिनजानिब .... मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

ग्राम 11 विस्वा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 वर्तमान जमावंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 206 पर कुल किता 05 कुल रकबा में वादी का रेवेन्यू रिकोर्ड में अंकित नाम केलासहाय पुत्र सुवालाल हजफ फरमाकर कैलाश चन्द्र पुत्र सुवालाल अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है।

निज................मुबलिंग.......................बाबत.....................खर्चा इस मुकदमे के मय शूद बशरह...................फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.............अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 21.01.2026 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक क..
टोडाभीम, जिला-करौली

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकाल नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			वक्त इजराय हुक्मनामा		
वक्त इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					

न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:– 108 / 2025 तारीख रजू :– 05.02.2025

पीठासीन अधिकारी :– श्री अमन चौधरी आर.ए.एस

1. कैलाश चंद शर्मा पुत्र श्री सुआलाल जाति बाह्मण निवासी ग्रम नांगल मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।

वादी / प्रार्थी

बनाम

1. दिनेश चन्द पुत्र राधेश्याम
2. गोदावरी देवी पत्नी राधेश्याम

} जाति बाह्मण निवासी नांगल मांडल तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0।

3. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी तह0 टोडाभीम जिला करौली राजस्थान।
4. तहसीलदार टोडाभीम (लेण्डहोल्डर) तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज०)
5. सबरजिस्ट्रार टोडाभीम, तहसील टोडाभीम, जिला करौली (राज०)

–प्रतिवादीगण / अप्रार्थीगण

दावा बाबत शुद्धी प्रविष्टयान राजस्व रिकॉर्ड व उदघोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 व 188

उपस्थित :– 1 श्री महेन्द्र कुमार एडवोकेट वादी

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बालघाट प्रतिवादी

निर्णय दिनांक–

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि हाल जमावंदी ग्राम टोडाभीम 11बिस्वा तहसील

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

टोडाभीम, जिला करौली (राज०) के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी (खेवट / खतोनी) अन्तिम चौसाला आधार सम्बत सम्वत 2076–2079 जमावंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के हाल खाता संख्या नया 206 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 656 रकवा 0.40 है० किस्म चाही–1 व खसरा नम्बर 657 रकवा 0.36 है० चाही–1, खसरा नम्बर 4072 रकवा 0.34 है० चाही–1, खसरा नम्बर 4073 रकवा 0.25 है० चाही–1, खसरा नम्बर 4074 रकवा 0.53 है० चाही–1,कुल किता 04 कुल रकवा 1.88 है० दर्ज है। **जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 जो वादी का नाम केलासहाय पुत्र सुवालाल जाति बाह्मण सा0 देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी के नाम दर्ज है** तथा शेष प्रतिवादी नम्बर 1 दिनेश चंद का हिस्सा 1/10 तथा प्रतिवादी नम्बर 02 गोदावरी देवी का हिस्सा 1/10 दर्ज है तथा शेश खातेदारो के हिस्से जमाबंदी अनुसार दर्ज है। वादी का नाम **कैलाश चन्द शर्मा उर्फ** कैलासहाय **उर्फ कैलाश पुत्र सुआलाल उर्फ सुवालाल** जाति बाह्मण निवासी नांगल मांडल तहसील टोडाभीम जिला करौली राजस्थान के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त नाम कैलाश चन्द शर्मा से प्रार्थी का आधार कार्ड संख्या 8686 5660 6730 भारत सरकार द्वारा जारी कर रखा है व भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र 1998 आरजे/11/088/057269 में कैलाश पिता का नाम सुआलाल दर्ज है परन्तु राजस्व कर्मचारियों ने/ अधिकारियों ने/ नामान्तकरण तस्दीककर्ता ने **आवेदक का नाम कैलासहाय पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/2 जाति बाह्मण निवासी टोडाभीम 11 बिस्वा दर्ज कर दिया, जो राजस्व नियमों के** विरूद्ध है। यदि संबंधित राजस्व अधिकारी/कर्मचारी यदि राजस्व नियमो के अनुसार जानकारी कर शुद्ध प्रविष्टियां/नवीन अंकन/नामान्तकरण

21/1/26
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर
टोडाभीम जिला करौली

दर्ज कर देते तो यह भूल कारित नही होती जबकि राजस्व नियमों में स्पष्ट उल्लेख है जैसे ही संबंधित शुद्ध प्रतिष्ठियों की जानकारी संबंधित हल्का पटवारी को होगी या संबंधित राजस्व अधिकारी को होगी या दी जायेगी तो संबंधित राजस्व अधिकारी जांच करवाकर या जांच कर अपने अधिनस्थ अधिकारी कर्मचारियो को शुद्ध प्रतिविष्ठियॉं दर्ज करने के आदेश प्रसारित करेगा। यह राजस्व अधिकारियों / कर्मवचारियों का दायित्व भी है और राजस्व नियमो के अन्तर्गत उल्लेखित भी है एवं की जाने वाले शुद्ध प्रतिविष्ठी के बारे में गांव प्रतिष्टित व्यक्तियों से मालूम व जॉच कर पटवारी उनका इन्द्राज अपने पटवार वृत की घटनावही में इन्द्राज करेगा और संबंधित जानकार व प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने जो जानकारी उपलब्ध करायी है उनके हस्ताक्षर अपनी घटना वही मे अंकित करायेगा। तदोपरान्त शुद्धी की प्रक्रिया अमल में लायेगा।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 भूमि / रिकोर्ड अधिकारी को यह अधिकार देती है कि वह कभी भी रिकोर्ड ऑफ राईटस या किसी भी रजिस्टर्ड में की गई लिपीकीय त्रुटियो या उन त्रुटियों को, किसी संबंधित पक्षकार स्वीकार करते है, ठीक कर सकता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई राजस्व अधिकारी निरीक्षण के दौरान त्रुटि पाता है तो वह भी उस त्रुटि को सही करने का अधिकार रखता है। वादी द्वारा पटवारी हल्का टोडाभीम व तहसीलदार महोदय व श्रीमान उपजिला कलेक्टर टोडाभीम को सतत निवेदन उपरान्त भी उपरोक्त शुद्धी दर्ज नही की गई। अतः दावा प्रस्तुत करना लाजमी हुआ है अब शुद्धी दर्ज करने का आदेश फरमावे।

21/1/26

वादी का नाम **कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल शर्मा** निवासी नांगल माडल / नांगल लाट के नाम से आधार कार्ड संख्या 8686 5660 6730 व भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र 1998 आरजे / 11 / 088 / 057269 में कैलाश चन्द पिता का नाम सुआलाल दर्ज है तथा राजस्थान सरकार परिवार राशन कार्ड , राशन कार्ड संख्या 00280 पं0सं0 टोडाभीम ग्राम पंचायत नांगल मांडल ग्राम नांगल मांडल में मुखिया का नाम **कैलाश चंद शर्मा पिता का नाम सुआलाल शर्मा** दर्ज है तथा गैस कनेक्शन उपभोक्ता संख्या 0337 एसवी नम्बर 52787638 भी कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल शर्मा निवासी नांगल लाट के नाम जारी है तथा भारतीय स्टेट बैंक शाखा टोडाभीम में भी खाता कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल के नाम से खुला हुआ है। जन आधार कार्ड, पहचान पत्र संख्या 4748407501 में भी वादी का नाम कैलाश चन्द शर्मा दर्ज है। आयकर विभाग से भारत सरकार में स्थायी लेखा संख्या कार्ड (PAN) QAEPS9639R **कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल** के नाम से जारी है तथा सरपंच ग्राम पंचायत नांगल मांडल द्वारा जारी प्रमाण पत्र कमांक एसपीआई–1 दिनांक 31 / 07 / 2025 तथा महजरनामा जारी आमजन ग्राम पंचायत नांगल माडल में भी कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल निवासी नांगल माडल को ग्राम टोडाभीम 11विस्वा की जमाबंदी में दर्ज खातेदार कैलासहाय पुत्र सुवालाल निवासी टोडाभीम 11विस्वा को कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल नाम का एक ही व्यक्ति दर्शाया गया है।

21/1/26

कि ग्राम टोडाभीम 11 बिस्वा की जमाबंदी (खेवट/खतोनी) अन्तिम चौसाला आधार सम्बत सम्वत 2076–2079 जमावंदी 2075 (वर्ष 2019) के नवीन खाता संख्या 206 में राजस्व कर्मियों द्वारा वादी का नाम **कैलासहाय पुत्र सुआलाल** निवासी टोडाभीम टोडाभीम 11विस्वा खातेदार दर्ज कर दिया/कर रखा है जबकि वादी का शुद्ध नाम **कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल** निवासी नांगल लाट हिस्सा 1/2 खातेदार है। जो राजस्व नियमों की भूल, अवहेलना/उपेक्षा के परिणाम स्वरूप है। जिससे उपरोक्त ऊपेक्षापूर्ण कार्य से प्रार्थी का नाम राजस्व रिकोर्ड में गलत अंकित हो गया है जबकि **सही अंकन कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल दर्ज किया जाना था। अतः कैलासहाय पुत्र सुआलाल जाति बाह्मण निवासी सा0देह को नाम की प्रविष्ठी ग्रम टोडाभीम 11विस्वा की जमांबदी के खाता संख्या 206 में दर्ज प्रतिष्टि को हजब/समाप्त कर इसके स्थान पर कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल हिस्सा 1/2 निवासी नांगल लाट का नवीन अंकन दर्ज करने के आदेश प्रदान करने हेतु सादर निवेदन है। एवं न्यायोचित भी है।**

कि ग्रम टोडाभीम 11विस्वा की जमांबदी के नवीन खाता संख्या नवीन 206 में कैलासहाय पुत्र सुआलाल के नाम से दर्शाया है जो राजस्व नियमों के विरूद्ध प्रविष्ठयां दर्ज प्रतीत होती है। अतः कैलासहाय पुत्र सुआलाल हिस्सा 1/2 सा0देह को हजब कर इसके स्थान पर शुद्ध प्रविष्टी कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल हिस्सा 1/2 निवासी नांगल लाट दर्ज करने का सादर निवेदन है। वादी का नाम कैलासहाय पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/2 जाति बाह्मण

21/1/26

सा0देह खोतदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी के स्थान पर कैलाश चन्द शर्मा पुत्र सुआलाल सा0 नांगल माडल हिस्सा 1/2 राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी दर्ज कराने हेतु आवेदक काफी लम्बे अन्तराल से पटवारी जी टोडाभीम 11 विस्वा एवं राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों से मौखिक निवेदन कर रहा था तथा प्रार्थी/वादी ने भी दिनांक 15/07/2025 को फार्म आईडी कैम्प टोडाभीम नगरपालिका में श्रीमान उपजिला कलेक्टर साहब व तहसीलदार टोडाभीम को लिखित में निवेदन किया था परन्तु आज दिवस तक भी उपरोक्त प्रविष्टयों का सही अंकन नही किया गया है। कि जैसे ही उक्त गलत प्रविष्टयों के शुद्ध/ठीक नही करने/होने का इल्म/ग्यान हुआ तो वादी ने प्रतिवादिगणों से हाथ जोडकर निवेदन किया कि तहसील टोडाभीम चलकर मेरे नाम की प्रविष्ठिया ठीक करवाये तो प्रतिवादीगणों ने स्पष्ट शब्दों में मना कर दिया। और बोले ना तो हम तेरे साथ तहसील चलेगें और ना ही तेरी मदद करेंगें। वादी तहसीलदार टोडाभीम के कार्यालय में निवेदन करने पुनः निवेदन करने पहूंचा तो तहसीलदार टोडाभीम ने वादी को आदेशित किया कि उपजिला कलेक्टर टोडाभीम के यहां शुद्धी हेतु वाद दायर करों। कि प्रतिवादी संख्या 03 को वादी की भूमि संबंधित बैंक में रहन रखी होने के कारण प्रतिवादी बनाया है। प्रतिवादी संख्या 04 को लैण्ड होल्डर होने के नाते व प्रतिवादी संख्या 05 को सबरजिस्ट्रार होने के नाते प्रतिवादी बनाया गया है।

कि दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण प्रिमिलिनरी डिक्री फरमाई जाकर इस आशय की घोषणा फरमायी जावे की आराजी ग्राम टोडाभीम 11विस्वा

21/11/25

तहसील टोडाभीम जिला करौली की अन्तिम चौसाला आधार वर्ष संबंत 2074–2078 राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी (खेवट/खतोनी) अन्तिम चौसाला आधार सम्बत सम्वत 2076–2079 जमावंदी 2075 (वर्ष 2019) से स्थायी के हाल खाता संख्या नया 206 में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 656 रकवा 0.40 है० किस्म चाही–1 व खसरा नम्बर 657 रकवा 0.36 है० चाही–1, खसरा नम्बर 4072 रकवा 0.34 है० चाही–1, खसरा नम्बर 4073 रकवा 0.25 है० चाही–1, खसरा नम्बर 4074 रकवा 0.53 है० चाही–1,कुल किता 04 कुल रकवा 1.88 है० दर्ज है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/2 कैलासहाय पुत्र सुआलाल हिस्सा 1/2 जाति बाह्मण सा0देह खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी के नाम से दर्ज है, को हजव कर वादी का नाम कैलाशचन्द शर्मा पुत्र सुआलाल जाति बाह्मण नांगल माडल खातेदार राहिन बैंक ऑफ बडौदा शाखा करीरी को खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे।

दावा वादी वखिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर प्रतिवादीगणों को इस आशय से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजीयात खसरा नम्बर 656 रकवा 0.40 है० किस्म चाही–1 व खसरा नम्बर 657 रकवा 0.36 है० चाही–1, खसरा नम्बर 4072 रकवा 0.34 है० चाही–1, खसरा नम्बर 4073 रकवा 0.25 है० चाही–1, खसरा नम्बर 4074 रकवा 0. 53 है० चाही–1,कुल किता 04 कुल रकवा 1.88 है० दर्ज है में वादी के हिस्से 1/2 में वादी के उपयोग–उपभोग में मजाहमत–मदाखलत पैदा नही करे, ना ही वादी को वेदखल कर कब्जा करें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी 4 व 5 की और से पैराकार सरकार (तहसीलदार टोडाभीम) को सम्मन से तलब किया है एवं

21/1/26

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
टोडाभीम, जिला करौली

प्रतिवादी 1 व 2 ने स्वय उपस्थित होकर जबाब पेश किया। जबाब में उन्होने अधिकतर मद स्वीकार किये है। प्रतिवादी 3 के अनुउपस्थित होने से एक तरफा कार्यवाही अमल ला गई। प्रतिवादी 4 व 5 की और सरकार पैरोकार उपस्थित हुए पैरोकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम 11 विस्वा की जमाबंदी सवत् 2076–79 के खाता संख्या 206 पर कुल किता 05 कुल रकबा 1.88 है0 में वादी का नाम कैलाशसहाय पुत्र सुवालाल हिस्सा 1/2 जाति बह्रामण सा0 देह रिकार्ड दर्ज है। उपलब्ध रिकार्ड मिसल बदोबसत सवत 2043–62 में भी वादी का नाम कैलासहाय सुवालाल जाति बह्रामण साविक दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज (आधारकार्ड, पैनकार्ड राशनकार्ड,) में वादी का नाम कैलाशचन्द सुवालाल दर्ज है। जबकि राजस्व रिकार्ड में कलासहाय पुत्र सुवालाल दर्ज है। तहसीलदार टोडाभीम की रिपोर्ट अनुसार **कैलासहाय एवं कैलाशचन्द एक ही व्यक्ति है।**

मैने उभय पक्ष की बहस सुनी वादी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यो दोहराते हुए वाद पत्र स्वीकार कर वादी का नाम **कैलाशसहाय के स्थान पर कैलाश चन्द्र करने का** कथन किया कि रेवेन्यू रिकोर्ड में पिता की विरासत खोलते समय वादी का नाम कैलाशसहाय कर दिया है जबकि वादी का सही नाम कैलाशचन्द्र है जो जिसके समस्त दस्तावेजात आधार कार्ड , राशन कार्ड , पैन कार्ड , मूल निवास ,जन आधार कार्ड में अंकित है पैरोकार सरकार ने कथन किया कि वादी का नाम रेवेन्यू रिकोर्ड में कैलाश सहाय है मैने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया चूकि वादी का नाम विरासत में गलत अंकित हुआ है पैराकार की रिपोर्ट वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात व

21/11/25

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखंड मजिस्ट्रेट
टोडाभीम, जिला ...

मु0न0 108 / 2025

कैलाश बनाम दिनेश

सह खातेदारो की सहमति से प्रकट होता है कि वादी का सही नाम कैलाशचन्द्र है

उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

अतः ग्राम 11 विस्वा तह0 टोडाभीम जिला करौली राज0 वर्तमान जमावंदी सम्वत 2076–2079 के खाता संख्या 206 पर कुल किता 05 कुल रकबा में वादी का रेवेन्यू रिकोर्ड में अंकित नाम **केलासहाय पुत्र सुवालाल** हजफ फरमाकर **कैलाश चन्द्र पुत्र सुवालाल** अंकित किया जावे वादी जमावंदी में दर्ज हिस्सा यथावत रहेगा। तहसीलदार टोडाभीम को तहरीर के साथ निर्णय प्रति भिजवाया जावें। आदेश पेश किये गए दस्तवेजों की सत्यता के आधार पर ही प्रभावी रहेगा जिसकी जिम्मेदारी वादी स्वंय की होगी।

यह निर्णय दिनांक 21.01.26 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

21/1/26

(अमन चौधरी)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

टोडाभीम जिला करौली